SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Mr. Deputy Chairman, Sir, again I will say that if we are going to divest some CPSEs, the land the new entity need through a proper valuation and evaluation, their portion of land will remain with the main industry. If some surplus land will be there, all this is a separate issue, that will be dealt with by due diligence and due process should be there. If a party comes, the respective State will come, we are open to negotiate and commercially deal with it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No. 36.

Senior citizens below poverty line

*36. SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether the Ministry has the data on the total number of senior citizens who are below the poverty line and suffering from age-related disabilities, if so, the State-wise details thereof:

(b) whether the Ministry has any specific regional focus for the Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY); and

(c) the number of camps conducted in the State of Punjab, since 2017?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI THAAWAR CHAND GEHLOT): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per 2011 Census, total number of Senior Citizens in the country is 10.38 crore. Data of Senior Citizens below the poverty line and suffering from age-related disabilities is however not maintained in the Ministry.

(b) There is no regional focus under the scheme of Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY). The camps under the scheme are organized at any location in the country where the need is felt.

(c) A total 9 Camps (06 distribution camps and 03 Assessment Camps) have been organised in Punjab since 2017 under RVY scheme and physical aids and assisted devices have been distributed free of cost to 1112 senior citizens belonging to BPL category.

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, गवर्नमेंट ने यह बहुत अच्छी स्कीम लॉंच की है, क्योंकि बेसिकली बीपीएल लिस्ट में जो सीनियर सिटिज़ंस आते हैं, यह उनके लिए है, ताकि उन सभी को कुछ assisted-living devices free of cost दी जाएं। लेकिन पहले मैं इसमें यह पूछना चाहता हूं, that in March, 2017, when the Rashtriya Vayoshri Yojana was announced, the Government declared that the Scheme would help five lakh and twenty thousand beneficiaries over a period of three years. लेकिन अभी तक five lakh twenty thousand के बजाय, they have been able to cover just ninety eight thousand eight hundred thirty eight. Given this failure in achieving targets, what are the steps the Ministry is taking to ensure the delivery of services to the BPL Senior Citizens as promised but in time?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया): माननीय उपसभापति महोदय, वयोश्री योजना के अंतर्गत देश में कुल 352 जिलों को छांटा गया था, जहां वयोश्री कैम्प लगाए जाने थे। इनमें से अब तक 126 जिलों में 132 कैम्प लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1,24,242 सीनियर सिटिज़ंस को कवर किया गया है और 3,22,776 उपकरण बांटे गए हैं। 79 Assessment Camps लगाने के लिए स्थान चुने जा चुके हैं, जिनमें इस प्रकार के वयोश्री कैम्प्स लगाया जाना अभी बाकी है। आने वाले समय में हम इन स्थानों को बहुत जल्दी कवर करेंगे।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, मैं मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूं कि 352 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, 325 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको आपकी गवर्नमेंट को कवर करना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आपने इस योजना पर जो 500 करोड़ रुपये खर्च करने थे, उसके बजाय आपने सिर्फ 124 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं। मेरी गुजारिश यह है, ये जो उपकरण आप उन्हें assistance के लिए दे रहे हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे walking sticks, elbow clutches, walkers, wheelchairs, artificial dentures वगैरह शामिल हैं, लेकिन इनकी जो वॉरंटी आपने दी है, वह सिर्फ एक साल की दी है। आप देखते हैं कि कई पुराने बुजुर्गों की walking sticks कई पुश्त-दर-पुश्त तक चलती रहती हैं। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि आप ये सब चीज़ें अच्छी क्वालिटी की चूज कीजिए, क्योंकि वे गरीब लोग हैं, इसलिए कम से कम इनकी पांच साल की वॉरंटी तो हो ही। Walking sticks अगर अच्छी किस्म की हों तो टूटती ही नहीं हैं।

श्री उपसभापति: आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: मेरा सवाल यही है इसकी वॉरंटी एक साल की बजाय पांच साल की की जाए और जो beneficiaries रह गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए।

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय उपसभापति महोदय, जो उपकरण वयोश्री योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, वे हमारी जो Public Undertaking 'ALIMCO' है, उनके दिए जाते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। दूसरे देशों के साथ मिल कर भी हम इसके अन्दर प्रावधान कर रहे हैं कि जो क्वालिटी हो, वह बहुत बेहतरीन किस्म की हो। उसी दृष्टि से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

[श्री रतन लाल कटारिया]

अभी आपने जो पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अन्दर 10 करोड़ 38 लाख senior citizens हैं। इस प्रकार के camps लगाये जाने के लिए requests भी आती हैं और माननीय सांसद महोदय भी अपने लोक सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रकार के camps लगवाने की request कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लोक सभा क्षेत्र में भी 03.03.2019 को हमने एक कैम्प लगाया था। पंजाब के अन्दर हमने कुल 9 camps चिन्हित किये थे, जिनमें से 6 लगा दिये गये हैं और 3 awaited हैं। भटिंडा में, 28 तारीख जो आने वाली है, यह हमने उन camps के लिए रखी है।

श्री उपसभापति: माननीय बाजवा जी का जो सुझाव था, उस पर आप गौर करेंगे।

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आपका सवाल हो गया। अब आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रताप सिंह बाजवा: सर ...**(व्यवधान)**... मुझे मंत्री जी को thanks ही करना है। ...**(व्यवधान)**... हम कैम्प जरूर लगवायेंगे। ...**(व्यवधान)**... आप कह रहे हैं कि गुरुदासपुर में लगवाया हुआ है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बाजवा जी, आप सीट ग्रहण करें। ...**(व्यवधान)**... आपने दोनों सवाल पूछ लिये हैं। ...**(व्यवधान)**... बाजवा जी, आपके supplementary questions खत्म हो गये। ...**(व्यवधान)**... प्लीज, अब आप बैठ जायें। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत: बाजवा साहब, जो यंत्र हम दे रहे हैं, वे उच्च क्वालिटी के हैं, मानक मापदंड के अन्तर्गत आने वाले हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। लगभग 7,000 रुपये तक की सामग्री हम एक व्यक्ति को देते हैं। उसमें हम जो-जो सामग्री देते हैं, उसमें जर्मनी की Ottobock नामक एक संस्था है, हमने उससे मिल कर हाथ और पैर बनाकर देने का काम किया है। उनकी technology हम ले रहे हैं और हमारी technology वे ले रहे हैं। साथ ही Scotland की एक संस्था है। हम उससे मिल कर आधुनिक wheelchair बनाने का काम कर रहे हैं। उनकी भी technology हम ले रहे हैं और हमारी technology वे ले रहे हैं। आधुनिक wheelchair वगैरह सब हैं। जो भी सामग्री हम दे रहे हैं, वह मानक मापदंड के अन्तर्गत है।

श्री राम नाथ ठाकुर: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बिहार में कितने वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण दिये गये हैं?

श्री रतन लाल कटारिया: महोदय, सारे देश के आंकड़े हमारे पास हैं। माननीय सदस्य ने जो बिहार के बारे में पूछा है, उसकी जानकारी मैं इनको उपलब्ध करा दूँगा।

श्री थावर चन्द गहलोत: उपसभापति महोदय, 2017-18 में बिहार में हमने 1,665 लोगों को दिया है, 2018-19 में 261 लोगों को दिया है और 2019-20 में 496 लाभार्थियों को यह सामग्री उपलब्ध करायी है।

डा. अनिल अग्रवाल: महोदय, विभिन्न युनिवर्सिटीज़ में जो एससी-एसटी छात्रों का कोटा है, उसके अलावा भी lapse seats पर यदि एससी-एसटी स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं, तो उनकी scholarship सम्भवत: बन्द कर दी गयी है। यदि हाँ, तो सरकार की इसको पुन: आरम्भ करने की कोई योजना है अथवा नहीं?

श्री उपसभापति: यह सवाल महत्वपूर्ण है, परन्तु इससे related नहीं है। कृपया बैठ जायें।

श्री हुसैन दलवई: महोदय, urban areas में रहने वाले 64 per cent senior citizens जो हैं, वे loneliness और depression में रहते हैं। क्या सरकार उनके लिए कुछ अलग सोच-विचार कर रही है?

श्री थावर चन्द गहलोत: महोदय, यह क्वेश्चन तो वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित है।

श्री हुसैन दलवई: हाँ।

श्री थावर चन्द गहलोत: उन्होंने दिव्यांगों के बारे में पूछा है।

श्री हुसैन दलवई: नहीं, नहीं। यह वरिष्ठ नागरिकों के बारे में है।

श्री थावर चन्द गहलोत: अगर आप एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहरा देंगे तो अच्छा होगा।

श्री हुसैन दलवई: मेरा प्रश्न है कि 64 per cent senior citizens शहरों में रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग loneliness और depression में रहते हैं। क्या सरकार उनके लिए कोई खास स्कीम के बारे में सोच कर रही है?

श्री उपसभापति: जो वरिष्ठ नागरिक हैं और अकेलेपन में रहते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री थावरचन्द गहलोत: मैं समझ गया। हालांकि यह इस प्रश्न से भिन्न प्रश्न है। परंतु हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष 2007 में एक कानून बना रखा है। उनके भरण-पोषण का उसमें प्रावधान है और अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी हम करते हैं। अभी हम एक नया एक्ट ला रहे हैं और उस नये एक्ट में जो लोग घरों में अकेले रहते हैं, उनके लिए डे केयर सेन्टर की भी सुविधा है कि वे दिन भर डे केयर सेन्टर में आकर सारी सुविधाएं जैसे समाचार पत्र, नाश्ता, भोजन, खेलकूद आदि गतिविधियां संचालित करते रहें और शाम को अपने घरों में जाकर रहें। इसके अलावा अभी एक नई योजना हम शुरू करने वाले हैं कि जो घरों में रहते हैं, एनजीओज़ के माध्यम से हम घर बैठे उनकी सेवा करने का काम करेंगे। वे एनजीओज़ के लोग उनके घरों में जाएंगे और उनकी सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। यह नई योजना हम प्रारम्भ करने वाले हैं।

*37. *[The questioner was absent.]*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q.No. 37. The questioner is not present.

The Minister to lay the answer on the Table of the House.